आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–65/2023	
30.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला–देवघर दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर अनुपस्थित। इस वाद में आयोग ने दिनांक–11.01.2024 की सुनवाई में सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को यह निर्देश दिया था कि वे विभागीय सचिव को पत्र भेज कर तकनीकी खामियों का उल्लेख करते हुए आज की सुनवाई से पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करने का आग्रह करें। गौरतलब है कि पिछले सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने आयोग को अवगत कराया था कि जिला स्तर पर अनुशंसा की जाती है, भुगतान राज्य स्तर पर होता है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के इसी तर्क के आधार पर आयोग के सदस्य सचिव को विभागीय सचिव से पत्राचार करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके विभागीय सचिव से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आयोग यह मानता है कि विभागीय और जिला स्तर पर समन्वय की कमी का खामियाजा शिकायतकर्ता को भुगतने नहीं दे सकता। क्योंकि खाद्य आयोग की संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत् प्रदत्त अधिकार लाभुक तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। ऐसे में आयोग वाद संख्या 66/2023 में पारित आदेश के संदर्भ में इस वाद में भी वही आदेश पारित करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे आकस्मिक निधि से शिकायतकर्ता को बची राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के विरूद्ध विधिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.02.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx151	